अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डांडा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001
ई–मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com

महत्वपूर्ण सूचना

''गोल्डन कार्ड'' बनवाने हेतु सामान्य प्रक्रिया

1. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत ''गोल्डन कार्ड'' बनवाने हेतु लाभार्थी अपनी पात्रता जानने के लिए दो विधियों का प्रयोग कर सकते हैं:–

(i) मोबाइल एप के माध्यम से (गूगल प्ले स्टोर से अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का मोबाइल एप से डाउनलोड कर)

(ii) Website www.ayushmanuttarakhand.org के माध्यम से

2. लाभार्थी मोबाईल एप अथवा वेब साईट से अपने परिवार की पात्रता निम्न प्रकार जान सकते हैं:–

(क) सर्वप्रथम आर्थिक सामाजिक एवं जातीय जनगणना (SECC) 2011 में दर्ज अपने नाम एवं मोबाइल नंबर के आधार पर।

(ख) यदि SECC के आधार पर पात्रता ज्ञात न हो सके तो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) राशन कार्ड संख्या (यह संख्या 10 अंकों है जिसका पहला अक्षर एल्फाबेट है, उदाहरणार्थ– S060111111) के आधार पर।

(ग) अन्त में, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (MSBY) कार्ड संख्या के आधार पर।

3. यदि उपरोक्त (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर परिवार का विवरण ज्ञात नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में 2012 की वोटर लिस्ट आई0डी0 संख्या (EPIC) के माध्यम से आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। **वोटर लिस्ट से अपना नाम सर्च करने के पश्चात यदि एप अथवा वेबसाईट पर आपके परिवार का विवरण प्रदर्शित होता है तो उस विवरण में वर्णित NFSA ID अथवा MSBY ID अंकित होगी। इस आई0डी0 के आधार पर आप अपना व अपने परिवार का ''गोल्डन कार्ड'' बनवा सकतें हैं।**

4. यदि लाभार्थी के परिवार का विवरण एप अथवा वेबसाइट से ज्ञात हो जाता है तब आपको कहीं भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC- Common Servies Center) में जाकर अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकता है।

5. सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC- Common Servies Center) से गोल्डन कार्ड बनवाने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रतिकार्ड ₹30/– शुल्क लगेगा। योजना का लाभ लेने हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य को गोल्डन कार्ड बनवाना होगा।

यदि SECC/ NFSA/ MSBY/Voter ID के आधार पर परिवार का विवरण प्रदर्शित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में Voter List 2012 से ''गोल्डन कार्ड'' बनवाने हेतु प्रक्रिया

6. यदि SECC/ NFSA/ MSBY/Voter ID के आधार पर आपके परिवार का विवरण प्रदर्शित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपका अथवा आपके परिवार के सदस्य का नाम वोटर लिस्ट 2012 में है, तब आपको अपने परिवार का गठन करना आवश्यक होगा, तभी गोल्डन कार्ड निर्गत हो सकेगा। ऐसी दशा में आपको निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी:–

(क) मोबाइल एप अथवा वेबसाइट में दिए गए प्राविधान के अनुसार अपने परिवार का विवरण भरना होगा।

(ख) इसके साथ–साथ परिवार के सदस्यों के प्रमाण के तौर पर अभिलेख यथा परिवार रजिस्टर की नकल, राशन कार्ड की प्रति, अथवा अन्य कोई अभिलेख जिसमें उसके परिवार के सदस्यों का विवरण अंकित हो, अपलोड करना अनिवार्य हैं या ऐसा अभिलेख जिससे परिवार के सदस्य का उसके मुखिया से संबंध प्रदर्शित होता हो, यथा वोटर आईडी, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट इत्यादि जिसमें उसके पिता/पति/पत्नी का नाम दर्ज है अपलोड करना अनिवार्य है।

(ग) उपरोक्त प्रक्रिया करने के पश्चात आपको मोबाईल फोन पर SMS के माध्यम से एक रेफरेन्स नम्बर मिलेगा, इसे संभाल कर रखें।

(घ) इसके पश्चात ही जांचोपरान्त परिवार का गठन स्वीकृत किया जाएगा।

(ड) परिवार का गठन स्वीकृत होने के पश्चात आपके मोबाईल नम्बर पर SMS के माध्यम से सूचित किया जायेगा, उसके पश्चात आप सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC- Common Servies Center) में जाकर अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं।

नोट:– ऐसे परिवारों को गोल्डन कार्ड बनवाने हेतु लगभग एक माह का समय लगेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना